''विभागों से संबद्ध संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों सहित सभी संसदीय प्रकाशन बिक्री हेतु विक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन (दूरभाष सं. 23034726, 23034495, 23034496) पर, लोक सभा सचिवालय द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं के पास तथा प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली (दूरभाष सं. 24367260, 24365610) और उनके विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त जानकारी www.parliamentofindia.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संसद के प्रतीक चिह्नयुक्त स्मारक मदें भी विक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली पर उपलब्ध हैं । संसदीय संग्रहालय के प्रतीक चिह्नयुक्त स्मारक मदें, स्मारिका बिक्री केन्द्र (दूरभाष सं. 23035323), संसदीय संग्रहालय, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। इन वस्तुओं की सूची उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।''

30

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2021–22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

विद्युत मंत्रालय

[विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पासदन/पूर्णता में विलंब' विषय से संबंधित 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2022/श्रावण,1944 (शक)

तीसवां प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

विद्युत मंत्रालय

['विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादनपूर्णता में विलंब/' विषय से संबंधित
19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर
सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

02.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
02.08.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2022 /*श्रावण*,1944 (*शक*)

सीओई सं. 356

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

पृष्ठ

समिति (2021-22) की संरचना ..... (iii)

प्राक्कथन ..... (v)

भाग एक

अध्याय एक. प्रतिवेदन 1

अध्याय दो. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है 11

अध्याय तीन. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है 20

अध्याय चार. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है 21

अध्याय पांच. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं 22

अनुबंध

एक. पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वित की जा रही चालू परियोजनाओं (>₹150 करोड़) का विवरण 23

दो. सभी निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्रों को जारी किया गया पत्र 29

परिशिष्ट

एक. समिति की 26 जुलाई, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश 30

दो. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण 32

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

सदस्य

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह – **सभापति**

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
6. श्री किशन कपूर
7. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
8. श्री सुनील कुमार मंडल ^
9. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री प्रवीन कुमार निषाद
12. श्री पी. वेलुसामी
13. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
14. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल@
15. श्री जय प्रकाश
16. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
17. श्री एस. ज्ञानतिराविय्म
18. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
19. श्री एस.सी. उदासी
20. रिक्त**
21 रिक्त#

राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री राजेन्द्र गहलोत*
24. श्री मुजीबुल्ला खान
25. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा

26. श्री एस. सेल्वागनबेथी*
27. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28. श्री के.टी.एस. तुलसी
29. रिक्त $
30. रिक्त &
31. रिक्त ^^

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय – **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन – **निदेशक**
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा – **अपर निदेशक**
4. श्री मनीष कुमार – **समिति अधिकारी**

---

^ श्रीमती साजदा अहमद के स्थान पर दिनांक 01.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए।

@ श्री रमेश चन्द्र कौशिक के स्थान पर दिनांक 07.2.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए।

** दिनांक 22.03.22 को लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने पर श्री अखिलेश यादव समिति के सदस्य नहीं रहे।

समिति के गठन के समय से रिक्त।

* दिनांक 11.11.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए।

$ श्री जुगलसिंह लोखंडवाला द्वारा 02.12.2021 को समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया।

& दिनांक 29.06.22 को राज्य सभा सेवानिवृत्त होने के पश्चात् श्री टी.के.एस. एलंगोवन समिति के सदस्य नहीं रहे।

^^ दिनांक 04.07.22 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् श्री संजय सेठ समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादनपूर्णता में विलंब/' विषय के संबंध में 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 19वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 05 अगस्त, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था। इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 04 जनवरी, 2022 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 26 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट–दो में दिया गया है।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं।

नई दिल्ली;
26 *जुलाई*, 2022
4 *श्रावण*, 1944 (*शक*)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय एक

प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में विलंब' विषय से संबधित उन्नीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है।

2. उन्नीसवां प्रतिवेदन 05.08.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 06 सिफारिशें/टिप्पणियां अंतर्विष्ट थीं।

3. इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण सरकार से प्राप्त हो गए हैं। ये निम्नवत् वर्गीकृत हैं:

i. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

क्रम सं. 1,2,3,4,5 और 6 कुल - 6

अध्याय - दो

ii. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:

क्रम सं. शून्य कुल - 00

अध्याय - तीन

iii. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

क्रम सं. शून्य कुल - 00

अध्याय - चार

iv. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए है:

क्रम सं. शून्य कुल - 00

अध्याय - पांच

4. समिति यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई कार्रवाई का विवरण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर समिति को भेज दिया जाए।

5. अब समिति सरकार द्वारा उनकी कतिपय टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है, पर विचार करेगी।

सिफारिश (क्रम सं. 1)

विवाद निपटान तंत्र

6. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत् सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि बड़ी संख्या में विद्युत परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी नहीं की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप समय और लागत में भारी वृद्धि हुई है। क्षेत्र-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 13 जल विद्युत परियोजनाओं में से 12 तथा 34 ताप विद्युत परियोजनाओं

में से 30 और 42 पारेषण परियोजनाओं में से 18 तथा 26 नवीकरणीय परियोजनाओं में से 01 के निष्पादन में विलंब हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि 12 विलंबित जल विद्युत परियोजनाओं में 1205 माह का समय अधिक लगा और इसके परिणामस्वरूप अब तक इनकी लागत में 31,530.03 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोत्तरी हुई है। समिति यह नोट करती है कि देश भर में कुल 34 ताप विद्युत परियोजनाओं (केंद्रीय और राज्यक्षेत्र की परियोजनाओं को मिलाकर) में से 30 परियोजनाएं विलंबित हैं। इससे इन परियोजनाओं में 41100.20 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि और 1776 महीने की समय वृद्धि हुई है। समिति यह नोट करती है कि जहां तक ताप विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/इनकी पूर्णता को प्रभावित करने वाले मुद्दों का संबंध है, कानून और व्यवस्था/ स्थानीय मुद्दों, प्राकृतिक आपदाओं, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं, कुशल जनशक्ति की कमी, वन और पर्यावरण मंजूरी इत्यादि के अतिरिक्त, कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा जिन बाधाओं का सामना किया जा रहा है, उनमें संविदात्मक मुद्दे और भूमि का अधिग्रहण मुख्य बाधाएं हैं। समिति यह पाती है कि संविदात्मक मुद्दे/विवाद परियोजनाओं की लागत का गलत आकलन किए जाने, खराब लागत प्रबंधन, संविदाकार द्वारा स्थल का सही ढंग से पर्यवेक्षण न किए जाने और अपर्याप्त निधियों अथवा बजट का आबंटन न किए जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः समिति का मानना है कि संविदा से संबंधित कई विवादों का उचित आयोजना और सावधानीपूर्वक प्रारंभिक स्तर पर ही सरलता से समाधान किया जा सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है किः

(i) परियोजना विकासकर्ता और संविदाकार के बीच संविदा किए जाने के समय ही संविदा के निबंधन और शर्तों पर पूरी ईमानदारी से सावधानीपूर्वक बातचीत सुनिश्चित की जाए;

(ii) निविदा की प्रक्रिया के दौरान सभी तथ्यों और जानकारी को पूर्णतः प्रस्तुत किया जाए;

(iii) संविदा दस्तावेज में प्रत्येक स्तर पर कार्यकलापों को पूर्ण करने के लिए उचित उपायों को शामिल करना और ऐसा न होने की स्थिति में कड़े मानक और जुर्माना इत्यादि को परिभाषित करना;

(iv) बैंकों द्वारा निधि संबंधी बाधाओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर ताप विद्युत परियोजनाओं को उधार देने के लिए उप-खंडीय सीमा निर्धारित किया जाना।"

7. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"(i) विद्युत मंत्रालय ने जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अनुबंध/बोली की निबंधन और शर्तों (खंडों) में सुधार के संबंध में विभिन्न उपाय किए हैं और कार्यों के तेजी से निष्पादन के लिए संविदात्मक विवादों से बचने के लिए अन्य उपाय भी किए हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

(क) समिति की उपरोक्त सिफारिशों के अनुरूप, विद्युत मंत्रालय ने सीपीएसयू और ठेकेदारों के बीच जल विद्युत क्षेत्र अनुबंधों के संबंध में शुरुआती चरण में ही विवाद से बचने के लिए 'स्वतंत्र अभियंता' के माध्यम से एक विवाद वर्जन तंत्र तैयार किया है। विद्युत मंत्रालय ने इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के बाद इस मंत्रालय के तहत जलविद्युत सीपीएसयूज में विवाद वर्जन के लिए स्वतंत्र अभियंता को सूचीबद्ध किया है।

(ख) प्रारंभिक चरण के दौरान उचित योजना और सावधानी, निविदा प्रक्रिया के दौरान तथ्यों की पूर्ण प्रस्तुति, ठेकेदार को भार मुक्त भूमि सौंपना आदि के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिश, उपरोक्त समिति की सिफारिशों का हिस्सा हैं।

(ग) इसके अलावा, सभी जटिल पैकेजों के लिए, एनटीपीसी अनुबंध के निबंधन और शर्तों के तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं पर सभी संभावित बोलीदाताओं के साथ पूर्व-एनआईटी/बोली-पूर्व सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसके आधार पर अनुबंध के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाता है।

(घ) थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन से संबंधित खंडों, थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के मामले में, बाद के चरण में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए मूल्य परिवर्तन गणना के लिए जल विद्युत संयंत्रों के लिए अनुबंध दस्तावेजों में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

(ङ) विद्युत मंत्रालय ने आसपास की परियोजनाओं के पिछले अनुभव के आधार पर वास्तविक परियोजना अनुसूची तैयार करने, नियमित आधार पर परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रिमावेरा, एमएस-प्रोजेक्ट आदि जैसे नवीनतम सॉफ्टवेयर उपकरणों का उपयोग,यदि परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर चालू होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने जैसे विभिन्न उपायों को अपनाकर जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत आधिक्य को कम करने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 08.11.2019 को अधिसूचित किए है। इन दिशा-निर्देशों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समय और लागत आधिक्य को कम करने के लिए अपनाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी जारी किए गए हैं –

i. विवादों का समयबद्ध समाधान और समय पर भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ii. परियोजना स्तर पर शक्ति के प्रत्यायोजन की समीक्षा।

iii. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना।

iv. संसाधनों नामत: उपकरणों और जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

v. ओईएम को उपकरणों का रखरखाव और एएमसी।

vi. परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार नए उपकरणों की खरीद।

vii. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड/रिपोर्टें रखना।

viii. ठेकेदारों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा और प्रभारी अभियंता द्वारा उनका निपटान।

ix. विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) द्वारा समय पर निर्णय।

x. निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में सभी घटनाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए ई-डायरी प्रणाली का रखरखाव।

xi. प्राकृतिक आपदा के अलावा किसी अन्य कारण से रुके हुए कार्य का समाधान करने हेतु प्रबंधन द्वारा समय पर निर्णय।

xii. अनुबंध दस्तावेज़ में जोखिम साझातंत्र को परिभाषित करना।

xiii. समय पर परियोजना लक्ष्यों को हासिल करने पर मजदूरों को प्रोत्साहित करने का योजना तंत्र।

(ii) निविदा दस्तावेज के तहत कार्यों/आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार के प्रश्नों को हल करने के उद्देश्य से, ठेकेदारों के प्रश्नों को हल करने के लिए सीपीएसयूज की जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं में सभी प्रमुख अनुबंधों में पूर्व-बोली बैठक का प्रावधान है। निविदा दस्तावेजों में कुछ तथ्य और जानकारी उपलब्धब न होने की स्थिति में संभावित बोलीदाता कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, ठेकेदारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे स्थल का दौरा करें और स्थल पर व्याप्त स्थितियों का अंदाजा लगाएं और बोली के साथ स्थल दौरा रिपोर्ट जमा करें। इसके अलावा, निविदा चरण के दौरान, किसी भी बोलीदाता द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी की गुण आधार पर विधिवत जांच की जाती है और उत्तर दिया जाता है।

(iii) जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के लिए परिसमापन हर्जाने का प्रावधान है, जो सीपीएसयूज के अनुबंधों का हिस्सा होते हैं और आमतौर पर अनुबंध मूल्य का लगभग 10% होते है।

अभी तक एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में, अनुबंधों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, एनटीपीसी सुविधा के पूरा होने में देरी और पुर्जों की आपूर्ति में देरी के लिए परिसमापन हर्जाना वसूल करती है। इसके अलावा, एनटीपीसी उपकरण के प्रदर्शन में कमी (यदि कोई हो) के लिए परिसमापन हर्जाना भी वसूल करती है।

फिर भी, समिति की सिफारिश को भविष्य के अनुबंधों में विचार के लिए नोट कर लिया गया है।

(iv) बैंकों द्वारा उधार देने के लिए वर्तमान क्षेत्रीय सीमाएं प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी अज्ञेयवादी) पर ध्यान दिए बिना आरई उत्पादन सहित विद्युत उत्पादन के लिए हैं, हालांकि, लिक्विडिटी प्रबंधन और दवाब कम करने के लिए ऐसी परियोजनाओं के लिए सभी उधारदाताओं या उधारदाताओं के संघ की स्वीकृति द्वारा दवाबग्रस्त परियोजनाओं को प्राथमिकता ऋण दिया जाता है।

ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए, एनटीपीसी आम तौर पर आंतरिक संसाधनों और बाहरी वाणिज्यिक उधारियों/ घरेलू वाणिज्यिक उधारियों के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है। आम तौर पर, एनटीपीसी की ओर से राशि की आवश्यकता को पूरा करने में कोई देरी नहीं होती है।"

8. समिति नोट करती है कि बिजली परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि से बचने के लिए विद्युत मंत्रालय ने नवंबर, 2019 में दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने सहित विभिन्न उपाय किए हैं। हालांकि, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इन सभी उपायों का समय और लागत में वृद्धि को कम करने में कोई प्रभाव पड़ा है। समिति का मत है कि विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में देरी से न केवल देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करने के प्रयास निष्फल होते हैं, बल्कि उन परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि होती है जो अंततः बढ़े हुए टैरिफ के रूप में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि सरकार को विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब को रोकने के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए और इसके प्रभाव की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करनी चाहिए। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय की गई कार्रवाई संबंधी विवरण प्रस्तुत करते समय, विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब से संबंधित नवीनतम सूचना/आंकड़े प्रस्तुत करे जो इस संबंध में उनके द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता/प्रभाव की पुष्टि करता हो।

सिफारिश (क्रम सं. 2)

शक्ति नीति

9. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत् सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति नोट करती है कि कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दे ताप विद्युत परियोजनाओं के दबावग्रस्त होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में 204 कोयला खदानों के निरस्त किए जाने के उपरांत, पर्याप्त ईंधन आपूर्ति के अभाव में बहुत सारी ताप विद्युत परियोजनाएं लटक गईं। इसके अतिरिक्त, कोयला लिंकेज के बिना ही बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गईं जिसके कारण उत्पादन की लागत में भारी वृद्धि हुई। समिति नोट करती है कि दबावग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) का गठन किया गया था। सरकार ने मंत्री-समूह (जीओएम) की सिफारिशों के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ भारत में कोयले के पारदर्शितापूर्ण उपयोग और आवंटन संबंधी नीति (शक्ति) में संशोधन करने का निर्णय लिया जिससे कि उन विद्युत संयंत्रों जिनके पास या तो पीपीए नहीं है या जहां पर डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक होने के कारण पीपीए को निरस्त कर दिया गया है, को कोयले की आपूर्ति की जा सके। समिति को आशा है कि प्रस्तावित संशोधन विद्युत और गैर-विद्युत क्षेत्र के विनिर्दिष्ट एंड यूज प्लांट्स (विद्युत उत्पादक इकाइयों) जिन्हें कोयला खदानों/ब्लॉकों का आवंटन किया गया है, के लिए कोयले की कमी की पूर्ति करने वाला (ब्रिज लिंकेज) होगा। इसलिए समिति सिफारिश करती

है कि दबावग्रस्त ताप विद्युत संयंत्रों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मंत्री-समूह (जीओएम) की सिफारिशों को तत्काल अक्षरशः लागू किया जाए और उपभोक्ताओं के हित में शक्ति नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों को यथाशीघ्र लागू किया जाए।"

10. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"जीओएम/एचएलईसी सिफारिशों के सीसीईए अनुमोदन के बाद, शक्ति नीति में पैरा ख(ii) और ख(iii) के मौजूदा प्रावधानों में कुछ प्रावधान जोड़े गए और पैरा ख(viii) के तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत, पैरा ख(viii)(क) उन विद्युत संयंत्रों को जिनके पास पीपीए नहीं है, विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से डे अहेड मार्केट (डीएएम) में विद्युत व्यापार के लिए अल्पावधि के लिए कोयला लिंकेज और डीईईपी पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म पीपीए प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। पैरा ख(viii)(क) के अनुसार:

"(क) निजी विद्युत उत्पादकों सहित ऐसे सभी विद्युत संयंत्रों को जिन्होंने पीपीए नहीं किया है, तीन माह की न्यूनतम अवधि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए शक्ति नीति के ख(iii) एवं ख(iv) के अंतर्गत कोयला लिंकेज की अनुमति होगी, परंतु यह और कि इस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत को पावर एक्सचेंजों के माध्यम से डे अहैड मार्केट (डीएसएम) में अथवा डिस्कवरी ऑफ एफिसिएंट एनर्जी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में बेचा जाएगा।"

वर्तमान में, उपरोक्त प्रावधान के तहत नीलामी शक्ति नीति के पैरा ख(iii) को शामिल करते हुए तिमाही आधार पर आयोजित की जा रही है और अब तक, पैरा ख(viii)(क) के तहत कोयला लिंकेज नीलामी के 06 चरणों का आयोजन किया गया है जिसमें गैर-पीपीए क्षमता वाले विभिन्न विद्युत संयंत्र कोयला लिंकेज का लाभ उठा चुके हैं। पैरा ख(viii)(क) के तहत नीलामियों का सार इस प्रकार है:

शक्ति नीति के पैरा ख(viii)(क) के तहत त्रैमासिक नीलामी	गैर-पीपीए क्षमता जिसके लिए कोयला लिंकेज आवंटित किया गया है (मेगावाट)	एक तिमाही के लिए कई ग्रेडों में बुक किए गए कोयले की मात्रा (एमटी)	टिप्पणियां
ट्रांच-1 (अप्रैल-जून, 20)	5990	1.34	9 संयंत्र, प्रीमियम शून्य
ट्रांच-2 (जुलाई-सितंबर, 20)	3901	0.63	8 संयंत्र, प्रीमियम शून्य
ट्रांच-3 (अक्तूबर-दिसंबर, 20)	4223	0.35	6 संयंत्र, प्रीमियम शून्य
ट्रांच-4 (जनवरी-मार्च, 21)	3476	0.64	7 संयंत्र, अधिकतम प्रीमियम .50रु./टन
ट्रांच -5 (अप्रैल-जून , 21)	3620	1.07	8 संयंत्र अधिकतम प्रीमियम 25रु./टन
ट्रांच-6 (जुलाई-सितंबर, 21)	3799	0.82	8 संयंत्र प्रीमियम शून्य
ट्रांच -7 (अक्टूबर-दिसंबर , 21)	ट्रांच-7 (अक्टूबर-दिसंबर, 21) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसमें 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं।		

(स्रोत: सीईए)

11. समिति ने यह नोट करते हुए कि कोयला की आपूर्ति से जुड़े मुद्दे विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं के संकट के प्रमुख कारणों में से एक हैं, सिफारिश की थी कि संकटग्रस्त ताप विद्युत संयंत्रों की समस्याओं से निपटने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों को तुरंत अक्षरश: लागू किया जाए और अंतिम उपभोक्ता के लाभ के लिए शक्ति नीति में

प्रस्तावित परिवर्तनों को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाए। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि सरकार ने शक्ति नीति में एक नया प्रावधान जोड़ा है जो उन विद्युत संयंत्रों जिनके पास पीपीए नहीं है, को (विद्युत एक्सचेंजों) के माध्यम से डे अहेड मार्केट (डीएएम) में विद्युत व्यापार के लिए अल्पावधि के लिए कोयला लिंकेज और डीईईपी पोर्टल के माध्यम से अल्पावधि पीपीए प्राप्त करने की अनुमति देता है। उसने यह भी बताया है कि आज तक कोयला लिकेंज नीलामी के 06 चरणों का आयोजन किया गया है जिसमें गैर-पीपीए क्षमता वाले विभिन्न विद्युत संयंत्र कोयला लिकेंज का लाभ उठा चुके हैं। समिति का यह मानना है कि इन प्रयासों से अनेक विद्युत संयंत्रों की कोयला आपूर्ति की स्थिति सुधरेगी। इसलिए समिति सरकार से सहयोग की आशा करती है और चाहती है कि सरकार विद्युत संयंत्रों को विशेषत: नए प्रावधानों के तहत संकटग्रस्त संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति करवाकर राहत प्रदान करें और समिति को इसके कार्यान्वयन में हुई प्रगति से अवगत कराए।

सिफारिश (क्रम सं 3)

पन विद्युत

12. समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नानुसार सिफारिश/टिप्पणी की था:

"समिति नोट करती है कि 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 11342 मेगावाट क्षमता की 24 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक की) ऐसी हैं जिनमें या तो समय अधिक लग रहा है या जिनकी लागत में बढ़ोत्तरी हुई है। इन विलंबित जल विद्युत परियोजनाओं में 12 माह से 189 माह तक की समय वृद्धि और 472.92% तक लागत बढ़ोत्तरी हुई है। समिति आगे पाती है कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में 13 जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं और उनमें से अधिकांश में बहुत विलंब हो रहा है। यद्यपि, 11 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है, तथापि 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी भी रुका हुआ है। समिति नोट करती है कि जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्ण होने से संबंधित मुद्दों में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वनों से संबंधित सुविधाएं, पुनरूद्धार और पुनर्वास संबंधी मुद्दे, अपर्याप्त अवसंरचना सुविधा, कानून और व्यवस्था संबंधी/स्थानीय मुद्दे, भूगर्भीय आकस्मिकताएं, प्राकृतिक आपदाएं, निधि संबंधी बाधाएं, संविदागत मुद्दे, अंतर-राज्यीय मुद्दे इत्यादि शामिल हैं। इन मुद्दों में से निधि संबंधी मुद्दे और भूगर्भीय आकस्मिकताएं तथा कानून और व्यवस्था संबंधी/स्थानीय मुद्दे प्रमुख हैं। समिति का विचार है कि उपर्युक्त मुद्दे बहुत सामान्य हैं और बड़ी निर्माण परियोजनाओं में प्रायः सामने आते हैं जिनका परियोजना शुरू होने से पहले ठोस संविदागत दिशानिर्देशों और उचित नीति और विनियामक सहयोग के माध्यम से समाधान और नियोजन किया जा सकता है। चूंकि सभी जल विद्युत परियोजनाएं, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, इस समिति की सिफारिशों के अनुसार हैं, अब इन्हें "नवीकरणीय ऊर्जा" खंड में शामिल कर लिया गया है, इसलिए समिति को आशा है कि इससे जल विद्युत क्षेत्र को और प्रोत्साहन मिलेगा और निर्धारित समय सीमा के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में सुविधा होगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि:

(i) जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माण अवधि लंबी होने के कारण ऋण पर ब्याज प्रचालनात्मक अवधि में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बकाया ऋण पर अधिक ब्याज से वार्षिक प्रशुल्क में वृद्धि होती है। इसलिए जल विद्युत परियोजनाओं की वित्तपोषण संबंधी नीतियों की समीक्षा इस दृष्टि से आवश्यक है कि कम ब्याज दरों पर अधिक अवधि के लिए ऋण दिया जा सके।

(ii) विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना जैसे सड़कों और पुलों की अपर्याप्तता के कारण, निर्माण के समय में वृद्धि होती है जिसके कारण परियोजना की लागत बढ़ जाती है। परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए बीआरओ, राज्य पीडब्ल्यूडी जैसे अभिकरणों जो कि सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, को पर्याप्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) का सड़कों, पुलों और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक समान अवसंरचना के विकास हेतु उपयोग किया जा सकता है।

(iii) लंबी परिपक्वता अवधि और इसमें शामिल भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए लागत और समय में बढ़ोत्तरी को काफी बड़े अंतराल से कम करने के लिए एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली आवश्यक है । इससे विकासकों को जल विद्युत क्षेत्र में परियोजनाएं प्रारंभ करने और इनमें भारी निवेश करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा ।"

13. मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इस संबंध में, ऋण की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ ब्याज दर को कम करने के लिए माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय संस्थानों/बैंकों के साथ परामर्श किया गया था । इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में समय और लागत की आधिक्या की घटनाओं को कम करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए थे । इसके अलावा, केंद्रीय सरकार की सलाह पर, जल विद्युत प्रचुर राज्यों की राज्य सरकारों जैसे हिमाचल प्रदेश ने 70 वर्ष की दीर्घावधि के लिए परियोजनाओं का आवंटन, राज्य जीएसटी की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति और टैरिफ को कम करने के लिए परियोजना लागत के अलावा किसी शीर्ष के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) को बुक करने आदि जैसे अन्य उपायों के अलावा प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुफ्त विद्युत के आस्थगन/और अस्थिर व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्र को आगे बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं ।

इन सभी उपायों से जल विद्युत परियोजनाओं के शुल्क को कम करने में विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों के दौरान मदद मिलने की उम्मीद है ।

पीएफसी और आरईसी ने बताया है कि वे आम तौर पर जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए लंबी अवधि के ऋण की पेशकश करते हैं । पीएफसी/आरईसी द्वारा दी जाने वाली ऋण अवधि परियोजना के आर्थिक जीवन के 85% तक यानी 40 वर्ष तक होती है । एचईपीज में शामिल जोखिम को ध्यान में रखते हुए, पीएफसी/आरईसी का तर्क है कि उनके द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें उचित प्रतिस्पर्धी हैं ।

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों और पुलों का निर्माण विभिन्न कारणों से हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, जिनमें दूरदराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों, लगभग छह महीने तक भारी बारिश के कारण सीमित कामकाजी अवधि आदि शामिल हैं । इन बाधाओं के बावजूद, केंद्रीय और राज्य दोनों एजेंसियों द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं । बीआरओ और एनएचआईडीसीएल ने दूरदराज के इलाकों को जोड़ने वाली कई सड़कों और पुलों का काम पूरा कर लिया है और अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है ।

इस तरह के बुनियादी ढांचे को तेजी से पूरा करने में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) का उपयोग निश्चित रूप से मददगार होगा । परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहायता के संबंध में, यह उल्लेयखनीय है कि सरकार ने मार्च, 2019 में जल विद्युत को बढ़ावा देने और उसे गति प्रदान करने के लिए अनेक उपाय अनुमोदित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रूपये/मेगावाट की दर से और 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रूपये/मेगावाट की दर से समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों के लिए बजटीय सहायता शामिल है ।

(iii) तथापि जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर मुद्दे, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधाएं, कानून एवं व्यवस्था/स्थानीय मुद्दे आदि मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्नु हितधारक शामिल हैं ।

तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर की सहमति के लिए, सीईए में एकल खिड़की प्रणाली मौजूद है । परियोजना विकासकर्ता को सीईए/सीडब्ल्यूसी/जीएसआई/सीएसएमआरएस से पूर्व-डीपीआर मंजूरी प्राप्त करने के बाद सीईए वेब पोर्टल पर अपना डीपीआर अपलोड करना अपेक्षित होगा। इस पोर्टल पर सीईए और सीडब्ल्यूसी

के मूल्यांकन समूहों द्वारा डीपीआर को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। डीपीआर की जांच के बाद, सीईए और सीडब्ल्यूसी के मूल्यांकन समूह पोर्टल पर, अपनी टिप्पणियां अपलोड करते हैं, जिसे विकासकर्ता एक्सेस कर सकता है और अपने उत्तर प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पोर्टल पर भी उठाया जाता है। इस तरह, यह पोर्टल दोतरफा संचार मंच प्रदान करता है और जलविद्युत परियोजनाओं के डीपीआर की मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक देरी से बचा जाता है। यह प्रणाली विकासकर्ता और मूल्यांकन समूहों के बीच दस्तावेजों के प्रसारण में महत्वपूर्ण समय बचाती है। इस प्रणाली ने डीपीआर मूल्यांकन प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है।

भारत सरकार द्वारा मंत्रालयों/विभागों द्वारा मंजूरी के अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) शुरू की गई है। सीईए का वेब पोर्टल को एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत किया जा रहा है।"

14. समिति प्रसन्न है कि सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र पर समुचित ध्यान देना शुरू कर दिया है। यह आशा की जाती है कि ऋण की ब्याज दरों को कम करने के साथ ऋण की अवधि को बढ़ाकर जल विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ में कमी करके, अवसंरचना का शीघ्र विकास और मंजूरी के अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की शुरूआत करने जैसे मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से जल विद्युत परियोजनाओं का त्वरित गति से विकास सुनिश्चित होगा। समिति मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करते समय इन सभी उपायों की प्रगति और प्रभाव से अवगत होना चाहेगी।

सिफारिश (क्र. सं. 6)

पन विद्युत

15. समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नानुसार सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति को बताया गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक की) की प्रगति की प्रायः स्थल दौरों तथा विकासकों और अन्य भागीदारों के साथ बातचीत के माध्यम से निगरानी करता है तथा समय-समय पर इनके साथ समीक्षा बैठकें करता है ताकि परियोजनाओं को शुरू किए जाने में आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान और उनका समाधान किया जा सके। समिति को यह भी बताया गया है कि विद्युत मंत्रालय बाधाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और अंतर-मंत्रालयी तथा अन्य लंबित मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए नियमित समीक्षा भी करता है। समिति को यह भी बताया गया कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) से संबंधित परियोजनाओं के मामले में परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी मापदंडों/मानकों को संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हुए वार्षिक समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है और इनकी सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों के दौरान समीक्षा की जाती है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि परियोजना प्रबंधन के सभी सहयोगी क्रियाकलापों के मध्य समन्वय और सहक्रिया के लिए एनटीपीसी त्रि-स्तरीय परियोजना प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर है जिसे एकीकृत परियोजना प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली (आईपीएमसीएस) कहा जाता है जो कि इसके अभियांत्रिकी प्रबंधन, संविदा प्रबंधन और निर्माण प्रबंधन नियंत्रण केंद्रों को एकीकृत करता है। समिति यह पाती है कि निगरानी तंत्र के मौजूद होते हुए भी बड़ी संख्या में परियोजनाएं लंबित हैं जिसके कारण समय और लागत में भारी वृद्धि हुई है। चूंकि विद्युत परियोजनाओं का समय पर पूर्ण होना अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समिति सिफारिश करती है कि नियमित समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त, सभी परियोजना स्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना प्रबंधन, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी प्रणाली शुरू की जाए जिसमें सभी हितधारकों अर्थात् आपूर्तिकर्ताओं, परियोजना विकासकों, संविदाकारों, सीईए इत्यादि के साथ ऑनलाइन संपर्क हो और प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित/चिन्हित हो। यह आवश्यक है कि कार्य की जिम्मेदारी संबंधित अभिकरण/समूह/व्यक्ति को सौंपी जाए ताकि परियोजना प्रबंधन और अधिक केंद्रित, त्वरित और सार्थक हो सके।"

16. मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया है:

"विद्युत मंत्रालय ने हाइड्रो सीपीएसयू में कड़ाई से अनुपालन के लिए नवंबर, 2019 में जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत की अधिकता को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, डेटा, घटनाओं, गतिविधियों की प्रगति आदि को कैप्चर करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में सभी घटनाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए वेब आधारित ई-डायरी प्रणाली को बनाए रखा जाना है। सीपीएसयू स्तर पर नियमित आधार पर परियोजना की निगरानी के लिए दिशानिर्देश नवीनतम सॉफ्टवेयर टूल के उपयोग को भी निर्धारित करते हैं। यह बेहतर परियोजना प्रबंधन में मदद करेगा और नियोक्ता और ठेकेदार के बीच विवादों के समाधान के लिए, यदि आवश्यक हो, तो संग्रह डेटा प्रदान करने में भी मदद करेगा।

ताप परियोजना स्थलों के संबंध में आईटी आधारित परियोजना प्रबंधन, निगरानी एवं अनुवर्तन प्रणाली के संबंध में सभी निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्रों को ऊर्जा पर स्थायी समिति (2020-21) की सिफारिशों के अनुपालन के लिए पत्र जारी किया गया है (पत्र सं. के.वि.प्रा./टी.पी.एम./एस. सी./जनवरी-3/2021/दिनांक: 27.08.2021) और इसे अनुबंध-ख के रूप में संलग्न किया गया है।

थर्मल परियोजनाओं के लिए, एनटीपीसी ने फास्ट-ट्रैक परियोजना कार्यान्वयन की सुविधा और विभिन्न एनटीपीसी परियोजनाओं के प्रमुख परियोजना मील के पत्थर की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक आईटी-सक्षम परियोजना निगरानी केंद्र (पीएमसी) की स्थापना की है। यह एनटीपीसी के प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। पीएमसी को एनटीपीसी के नेटवर्क में एक वेब आधारित सहयोगी प्रणाली के रूप में एकीकृत किया गया है, जिसका उपयोग परियोजना से संबंधित मुद्दों के समेकन और उनके समाधान की सुविधा के लिए किया जाता है। परियोजना स्थलों पर आईपी कैमरे भी लगाए गए हैं जो महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी के लिए रीयल टाइम लाइव स्ट्रीमिंग देते हैं।

एनटीपीसी ने परियोजना प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों को निम्नलिखित इंटरफेस प्रदान किए हैं:

- एनटीपीसी ने मंत्रालय और अन्य सरकार एजेंसियों को अपने परियोजना प्रबंधन उपकरण (वेब-मील) तक पहुंच प्रदान की है, जहां परियोजना की प्रगति देखी जा सकती है।
- एनटीपीसी द्वारा एजेंसियों को इंजीनियरिंग प्रबंधन- "ड्रीम" के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। यह विभिन्न पैकेजों की इंजीनियरिंग करने के लिए एनटीपीसी और एजेंसियों के बीच एक इंटरफेस है। एजेंसियां इस पोर्टल पर अनुमोदन के लिए इंजीनियरिंग दस्तावेज जमा करती हैं। इस प्लेटफॉर्म से पैकेज की इंजीनियरिंग प्रगति की समीक्षा की जा सकती है।
- इसके अलावा, सभी विक्रेताओं को भुगतान की प्रक्रिया एनटीपीसी के पीआरएडीआईपी पोर्टल (एनटीपीसी द्वारा एक पेपरलेस पहल) के माध्यम से की जा रही है। चालान जमा करने से लेकर भुगतान तक सभी गतिविधियां इस पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं।

उपर्युक्त के अलावा, परियोजनाओं की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, एनटीपीसी अब एक ही स्थान पर इंजीनियरिंग, आपूर्ति और निर्माण की प्रगति को एकीकृत करने और प्रगति को ऑनलाइन कैप्चर करने के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर निगरानी उपकरण अपना रहा है। प्रगति के मोबाइल ऐप आधारित अद्यतन और भूमिका-आधारित पहुंच जैसी सुविधाएं उपकरण को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाती हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रगति का नियमित अद्यतनीकरण होगा। यह समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में मदद करेगा। इस उपकरण को एनटीपीसी की आगामी थर्मल परियोजनाओं के ईपीसी पैकेजों के बोली दस्तावेजों में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, कई आईटी-सक्षम वेब-आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी की जा रही है:

क. प्रगति पोर्टल

ख. ऊर्जा दर्पण

ग. ई- समीक्षा पोर्टल

घ. पीएमजी पोर्टल

ङ एनआईपी पोर्टल

च. ओसीएमएस पोर्टल"

17. समिति की सिफारिश कि नियमित समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त, सभी परियोजना स्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना प्रबंधन, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी प्रणाली शुरू की जाए जिसमें सभी हितधारकों अर्थात् आपूर्तिकर्ताओं, परियोजना विकासकर्ताओं, संविदाकारों, सीईए इत्यादि के साथ ऑनलाइन संपर्क हो और प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित और चिन्हित हो, के संबंध में मंत्रालय ने बताया है कि सभी निर्माणाधीन ताप बिजली परियोजनाओं को सिफारिश की अनुपालना करने के लिए एक पत्र भेजा गया है । उन्होंने आगे बताया कि परियोजना की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, एनटीपीसी अब एक ही स्थान पर इंजीनियरिंग, आपूर्ति और निर्माण की प्रगति को एकीकृत करने और प्रगति को ऑनलाइन कैप्चर करने के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर निगरानी उपकरण अपना रहा है । प्रगति के मोबाइल ऐप आधारित अद्यतन और भूमिका-आधारित पहुँच जैसी सुविधाएं उपकरण को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाती हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रगति का नियमित अद्यतनीकरण होगा और यह समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में मदद करेगा । इस उपकरण को एनटीपीसी की आगामी थर्मल परियोजनाओं के ईपीसी पैकजों के बोली दस्तावेजों में शामिल किया गया है । समिति यह मानती है कि इन साधनों से विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी करने और विपथन की स्थिति में त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम बनाने में मदद मिलेगी । समिति को समिति की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए ।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्रम सं 1)

समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि बड़ी संख्या में विद्युत परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी नहीं की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप समय और लागत में भारी वृद्धि हुई है। क्षेत्र-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 13 जल विद्युत परियोजनाओं में से 12 तथा 34 ताप विद्युत परियोजनाओं में से 30 और 42 पारेषण परियोजनाओं में से 18 तथा 26 नवीकरणीय परियोजनाओं में से 01 के निष्पादन में विलंब हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि 12 विलंबित जल विद्युत परियोजनाओं में 1205 माह का समय अधिक लगा और इसके परिणामस्वरूप अब तक इनकी लागत में 31,530 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोत्तरी हुई है। समिति यह नोट करती है कि देश भर में कुल 34 ताप विद्युत परियोजनाओं (केंद्रीय और राज्यक्षेत्र की परियोजनाओं को मिलाकर) में से 30 परियोजनाएं विलंबित हैं। इससे इन परियोजनाओं में 41,100.20 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि और 1776 महीने की समय वृद्धि हुई है। समिति यह नोट करती है कि जहां तक ताप विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/इनकी पूर्णता को प्रभावित करने वाले मुद्दों का संबंध है, कानून और व्यवस्था/ स्थानीय मुद्दों, प्राकृतिक आपदाओं, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं, कुशल जनशक्ति की कमी, वन और पर्यावरण अनापत्ति इत्यादि के अतिरिक्त, कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा जिन बाधाओं का सामना किया जा रहा है, उनमें संविदात्मक मुद्दे और भूमि का अधिग्रहण मुख्य बाधाएं हैं। समिति यह पाती है कि संविदात्मक मुद्दे/विवाद परियोजनाओं की लागत का गलत आकलन किए जाने, खराब लागत प्रबंधन, संविदाकार द्वारा स्थल का सही ढंग से पर्यवेक्षण न किए जाने और अपर्याप्त निधियों अथवा बजट का आबंटन न किए जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः समिति का मानना है कि संविदा से संबंधित कई विवादों का उचित आयोजना और सावधानीपूर्वक प्रारंभिक स्तर पर ही सरलता से समाधान किया जा सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है किः

(i) परियोजना विकासक और संविदाकार के बीच संविदा किए जाने के समय ही संविदा के निबंधन और शर्तों पर पूरी ईमानदारी से सावधानीपूर्वक बातचीत सुनिश्चित की जाए;

(ii) निविदा की प्रक्रिया के दौरान सभी तथ्यों और जानकारी को पूर्णतः प्रस्तुत किया जाए;

(iii) संविदा दस्तावेज में प्रत्येक स्तर पर कार्यकलापों को पूर्ण करने के लिए उचित उपायों को शामिल करना और ऐसा न होने की स्थिति में कड़े मानक और जुर्माना इत्यादि को परिभाषित करना;

(iv) बैंकों द्वारा निधि संबंधी बाधाओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर ताप विद्युत परियोजनाओं को उधार देने के लिए उप-खंडीय सीमा निर्धारित किया जाना।

सरकार का उत्तर

(i) विद्युत मंत्रालय ने जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अनुबंध/बोली की निबंधन और शर्तों (खंडों) में सुधार के संबंध में विभिन्न उपाय किए हैं और कार्यों के तेजी से निष्पादन के लिए संविदात्मक विवादों से बचने के लिए अन्य उपाय भी किए हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

(क) समिति की उपरोक्त सिफारिशों के अनुरूप, विद्युत मंत्रालय ने सीपीएसयू और ठेकेदारों के बीच जल विद्युत क्षेत्र अनुबंधों के संबंध में शुरुआती चरण में ही विवाद से बचने के लिए 'स्वतंत्र अभियंता' के माध्यम से एक विवाद वर्जन तंत्र तैयार किया है। विद्युत मंत्रालय ने इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के बाद इस मंत्रालय के तहत जलविद्युत सीपीएसयूज में विवाद वर्जन के लिए स्वतंत्र अभियंता को सूचीबद्ध किया है।

(ख) प्रारंभिक चरण के दौरान उचित योजना और उद्यम, निविदा प्रक्रिया के दौरान तथ्यों की पूर्ण प्रस्तुति, ठेकेदार को भार मुक्त भूमि सौंपना आदि के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिश, उपरोक्त समिति की सिफारिशों का हिस्सा हैं।

(ग) इसके अलावा, सभी जटिल पैकेजों के लिए, एनटीपीसी अनुबंध के निबंधन और शर्तों के तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं पर सभी संभावित बोलीदाताओं के साथ पूर्व-एनआईटी/बोली-पूर्व सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसके आधार पर अनुबंध के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाता है।

(घ) थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन से संबंधित खंडों, थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के मामले में, बाद के चरण में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए मूल्य परिवर्तन गणना के लिए जल विद्युत संयंत्रों के लिए अनुबंध दस्तावेजों में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

(ङ) विद्युत मंत्रालय ने आसपास की परियोजनाओं के पिछले अनुभव के आधार पर वास्तविक परियोजना अनुसूची तैयार करने, नियमित आधार पर परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रिमावेरा, एमएस-प्रोजेक्ट आदि जैसे नवीनतम सॉफ्टवेयर उपकरणों का उपयोग, यदि परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर चालू होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने जैसे विभिन्न उपायों को अपनाकर जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत आधिक्य को कम करने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 08.11.2019 को अधिसूचित किए है। इन दिशा-निर्देशों में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए समय और लागत आधिक्य को कम करने के लिए अपनाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी जारी किए गए हैं –

i. विवादों का समयबद्ध समाधान और समय पर भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

ii. परियोजना स्तर पर शक्ति के प्रत्यायोजन की समीक्षा।

iii. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना।

iv. संसाधनों नामत: उपकरणों और जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

v. ओईएम को उपकरणों का रखरखाव और एएमसी।

vi. परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार नए उपकरणों की खरीद।

vii. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड/रिपोर्टें रखना।

viii. ठेकेदारों द्वारा दावों को प्रस्तुरत करने की समय-सीमा और प्रभारी अभियंता द्वारा उनका निपटान।

ix. विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) द्वारा समय पर निर्णय।

x. निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में सभी घटनाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए ई-डायरी प्रणाली का रखरखाव।

xi. प्राकृतिक आपदा के अलावा किसी अन्य कारण से रुके हुए कार्य का समाधान करने हेतु प्रबंधन द्वारा समय पर निर्णय।

xii. अनुबंध दस्तावेज़ में जोखिम साझातंत्र को परिभाषित करना।

xiii. समय पर परियोजना लक्ष्यों को हासिल करने पर श्रम को प्रोत्साहित करने का योजना तंत्र।

(ii) निविदा दस्तावेज के तहत कार्यों/आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार के प्रश्नों को हल करने के उद्देश्य से, ठेकेदारों के प्रश्नों को हल करने के लिए सीपीएसयूज की जलविद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं में सभी प्रमुख अनुबंधों में पूर्व-बोली बैठक का प्रावधान है। निविदा दस्तावेजों में कुछ तथ्य और जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में संभावित बोलीदाता कोई भी

प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, ठेकेदारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे स्थल का दौरा करें और स्थल पर व्याप्त स्थितियों का अंदाजा लगाएं और बोली के साथ स्थल दौरा रिपोर्ट जमा करें। इसके अलावा, निविदा चरण के दौरान, किसी भी बोलीदाता द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी की गुण आधार पर विधिवत जांच की जाती है और उत्तर दिया जाता है।

(iii) जलविद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के लिए परिसमापन हर्जाने का प्रावधान है, जो सीपीएसयूज के अनुबंधों का हिस्सा होते हैं और आमतौर पर अनुबंध मूल्य का लगभग 10% होते है।

अभी तक एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में, अनुबंधों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, एनटीपीसी सुविधा के पूरा होने में देरी और पुर्जों की आपूर्ति में देरी के लिए परिसमापन जुर्माना वसूल करती है। इसके अलावा, एनटीपीसी उपकरण के प्रदर्शन में कमी (यदि कोई हो) के लिए परिसमापन हर्जाना भी वसूल करती है।

फिर भी, समिति की सिफारिश को भविष्य के अनुबंधों में विचार के लिए नोट कर लिया गया है।

(iv) बैंकों द्वारा उधार देने के लिए वर्तमान क्षेत्रीय सीमाएं प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकी अज्ञेयवादी) पर ध्याान दिए बिनाआरई उत्पादन सहित विद्युत उत्पादन के लिए हैं, हालांकि, लिक्विडिटी प्रबंधन और दवाब कम करने के लिए ऐसी परियोजनाओं के लिए सभी उधारदाताओं या उधारदाताओं के संघ की स्वीकृति द्वारा दवाबग्रस्त परियोजनाओं को प्राथमिकता ऋण दिया जाता है।

ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए, एनटीपीसी आम तौर पर आंतरिक संसाधनों और बाहरी वाणिज्यिक उधारियों/घरेलू वाणिज्यिक उधारियों के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है। आम तौर पर, एनटीपीसी की ओर से राशि की आवश्यकता को पूरा करने में कोई देरी नहीं होती है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. 2/8/2016-पीएंडपी, दिनांक: 04.01.2022]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 8 **देखें)**

सिफारिश (क्रम सं 2)

विद्युत मंत्रालय के साक्ष्य से समिति यह पाती है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के समक्ष तीन महत्वपूर्ण समस्याएं हैं यथा भूमि अधिग्रहण, कोल लिंकेज और रेल संपर्क न होना। तथापि, समिति यह जानकर प्रसन्न है कि मंत्रालय रेलवे लाइन की उपलब्धता के मुद्दे का काफी हद तक समाधान करने में समर्थ रहा है और रेलवे से संबंधित कई अन्य मुद्दों का समाधान उच्च स्तर पर बैठकों के माध्यम से कर लिया गया है। समिति नोट करती है कि कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दे ताप विद्युत परियोजनाओं के दबावग्रस्त होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में 204 कोयला खदानों के निरस्त किए जाने के उपरांत, पर्याप्त ईंधन आपूर्ति के अभाव में बहुत सारी ताप विद्युत परियोजनाएं लटक गईं। इसके अतिरिक्त, कोयला लिंकेज के बिना ही बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गईं जिसके कारण उत्पादन की लागत में भारी वृद्धि हुई। समिति नोट करती है कि दबावग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) का गठन किया गया था। सरकार ने मंत्री-समूह (जीओएम) की सिफारिशों के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ भारत में कोयले के पारदर्शितापूर्ण उपयोग और आवंटन संबंधी नीति (शक्ति) में संशोधन करने का निर्णय लिया जिससे कि उन विद्युत संयंत्रों जिनके पास या तो पीपीए नहीं है या जहां पर डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक होने के कारण पीपीए को निरस्त कर दिया गया है, को कोयले की आपूर्ति की जा सके। समिति को आशा है कि प्रस्तावित संशोधन विद्युत और गैर-विद्युत क्षेत्र के विनिर्दिष्ट एंड यूज प्लांट्स (विद्युत उत्पादक इकाइयों) जिन्हें कोयला खदानों/ब्लॉकों का आवंटन किया गया है, के लिए कोयले की कमी की पूर्ति करने वाला

(ब्रिज लिंकेज) होगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि दबावग्रस्त ताप विद्युत संयंत्रों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मंत्री-समूह (जीओएम) की सिफारिशों को तत्काल अक्षरशः लागू किया जाए और विनिर्दिष्ट एंड यूज प्लांट्स (विद्युत उत्पादक इकाइयों) के लाभ के लिए शक्ति नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों को यथाशीघ्र लागू किया जाए।

सरकार का उत्तर

जीओएम/एचएलईसी सिफारिशों के सीसीईए अनुमोदन के बाद, शक्ति नीति में पैरा ख(ii) और ख(iii) के मौजूदा प्रावधानों में कुछ प्रावधान जोड़े गए और पैरा ख(viii) के तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया है । इसके तहत, पैरा ख(viii)(क) उन विद्युत संयंत्रों को जिनके पास पीपीए नहीं है, विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से डे अहेड मार्केट (डीएएम) में विद्युत व्यांपार के लिए अल्पावधि के लिए कोयला लिंकेज और डीईईपी पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म पीपीए प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। पैरा ख(viii)(क) के अनुसार:

"क) निजी विद्युत उत्पादकों सहित ऐसे सभी विद्युत संयंत्रों को जिन्होंने पीपीए नहीं किया है, तीन माह की न्यूनतम अवधि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए शक्ति नीति के ख(iii) एवं ख(iv) के अंतर्गत कोयला लिंकेज की अनुमति होगी, परंतु यह और कि इस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत को पावर एक्सचेंजों के माध्यम से डे अहैड मार्केट (डीएएम) में अथवा डिस्कवरी ऑफ एफिसिएंट एनर्जी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में बेचा जाएगा।"

वर्तमान में, उपरोक्त प्रावधान के तहत नीलामी शक्ति नीति के पैरा ख(iii) को शामिल करते हुए तिमाही आधार पर आयोजित की जा रही है और अब तक, पैरा ख(viii)(क) के तहत कोयला लिंकेज नीलामी के 06 चरणों का आयोजन किया गया है जिसमें गैर-पीपीए क्षमता वाले विभिन्न विद्युत संयंत्र कोयला लिंकेज का लाभ उठा चुके हैं। पैरा ख(viii)(क) के तहत नीलामियों का सार इस प्रकार है:

शक्ति नीति के पैरा ख(viii)(क) के तहत त्रैमासिक नीलामी	गैर-पीपीए क्षमता जिसके लिए कोयला लिंकेज आवंटित किया गया है (मेगावाट)	एक तिमाही के लिए कई ग्रेडों में बुक किए गए कोयले की मात्रा (एमटी)	टिप्पणियां
ट्रांच-1 (अप्रैल-जून 20)	5990	1.34	9 संयंत्र, प्रीमियम शून्य
ट्रांच-2 (जुलाई-सितंबर, 20)	3901	0.63	8 संयंत्र, प्रीमियम शून्य
ट्रांच-3 (अक्तूबर-दिसंबर, 20)	4223	0.35	6 संयंत्र, प्रीमियम शून्य
ट्रांच-4 (जनवरी-मार्च, 21)	3476	0.64	7 संयंत्र, अधिकतम प्रीमियम. 50रु./टन
ट्रांच-5 (अप्रैल-जून, 21)	3620	1.07	8 संयंत्र अधिकतम प्रीमियम 25रु./टन
ट्रांच-6 (जुलाई-सितंबर, 21)	3799	0.82	8 संयंत्र प्रीमियम शून्य
ट्रांच-7 (अक्टूबर-दिसंबर, 21)	ट्रांच-7 (अक्टूबर-दिसंबर, 21) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसमें 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं।		

(स्रोत सीईए)

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. 2/8/2016-पीएंडपी, दिनांक: 04.01.2022]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 11 **देखें**)

सिफारिश (क्रम सं 3)

समिति नोट करती है कि 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 11342 मेगावाट क्षमता की 24 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक की) ऐसी हैं जिनमें या तो समय अधिक लग रहा है या जिनकी लागत में बढ़ोत्तरी हुई है । इन विलंबित जल विद्युत परियोजनाओं में 12 माह से 189 माह तक की समय वृद्धि और 472.92% तक लागत बढ़ोत्तरी हुई है। समिति आगे पाती है कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में 13 जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं और उनमें से अधिकांश में बहुत विलंब हो रहा है। यद्यपि, 11 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है, तथापि 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी भी रुका हुआ है । समिति नोट करती है कि जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्ण होने से संबंधित मुद्दों में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वनों से संबंधित सुविधाएं, कानून और व्यवस्था संबंधी/स्थानीय मुद्दे, भूगर्भीय आकस्मिकताएं, प्राकृतिक आपदाएं, निधि संबंधी बाधाएं, संविदागत मुद्दे, अंतर-राज्यीय मुद्दे इत्यादि शामिल हैं । इन मुद्दों में से निधि संबंधी मुद्दे और भूगर्भीय आकस्मिकताएं तथा कानून और व्यवस्था संबंधी/स्थानीय मुद्दे प्रमुख हैं । समिति का विचार है कि उपर्युक्त मुद्दे बहुत सामान्य हैं और बड़ी निर्माण परियोजनाओं में प्रायः सामने आते हैं जिनका परियोजना शुरू होने से पहले ठोस संविदागत दिशानिर्देशों और उचित नीति और विनियामक सहयोग के माध्यम से समाधान और नियोजन किया जा सकता है । चूंकि सभी जल विद्युत परियोजनाएं, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, इस समिति की सिफारिशों के अनुसार हैं, इसलिए इन्हें "नवीकरणीय ऊर्जा" खंड में शामिल कर लिया गया है, इसलिए समिति को आशा है कि इससे जल विद्युत क्षेत्र को और प्रोत्साहन मिलेगा और निर्धारित समय सीमा के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में सुविधा होगी । इसलिए, समिति सिफारिश करती है किः

(i) जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माण अवधि लंबी होने के कारण ऋण पर ब्याज प्रचालनात्मक अवधि में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बकाया ऋण पर अधिक ब्याज से वार्षिक प्रशुल्क में वृद्धि होती है । इसलिए जल विद्युत परियोजनाओं की वित्तपोषण संबंधी नीतियों की समीक्षा इस दृष्टि से आवश्यक है कि कम ब्याज दरों पर अधिक अवधि के लिए ऋण दिया जा सके ।

(ii) विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना जैसे सड़कों और पुलों की अपर्याप्तता के कारण, निर्माण के समय में वृद्धि होती है जिसके कारण परियोजना की लागत बढ़ जाती है । परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए बीआरओ, राज्य पीडब्ल्यूडी जैसे अभिकरणों जो कि सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, को पर्याप्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता है । राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) का सड़कों, पुलों और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक समान अवसंरचना के विकास हेतु उपयोग किया जा सकता है ।

(iii) लंबी परिपक्वता अवधि और इसमें शामिल भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए लागत और समय में बढ़ोत्तरी को काफी बड़े अंतराल से कम करने के लिए एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली आवश्यक है । इससे डेवल्परों को जल विद्युत क्षेत्र में परियोजनाएं प्रारंभ करने और इनमें भारी निवेश करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा ।

सरकार का उत्तर

(i) सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इस संबंध में, ऋण की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ ब्याज दर को कम करने के लिए माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय संस्थानों/बैंकों के साथ परामर्श किया गया था । इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में समय और लागत की बढ़ने की घटनाओं को कम करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए थे । इसके अलावा, केंद्रीय सरकार की सलाह पर, जल विद्युत प्रचुर राज्यों की राज्य सरकारों जैसे हिमाचल प्रदेश ने 70 वर्ष की दीर्घावधि के लिए परियोजनाओं का आवंटन, राज्य जीएसटी की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति और टैरिफ को कम करने के लिए परियोजना लागत के अलावा किसी शीर्ष के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) को बुक करने आदि जैसे अन्य उपायों के अलावा प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुफ्त विद्युत के आस्थगन/और अस्थिर व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्र को आगे बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं ।

इन सभी उपायों से विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं के प्रशुल्क को कम करने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।

पीएफसी और आरईसी ने बताया है कि वे आम तौर पर जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए लंबी अवधि के ऋण की पेशकश करते हैं। पीएफसी/आरईसी द्वारा दी जाने वाली ऋण अवधि परियोजना के आर्थिक जीवन के 85% तक यानी 40 वर्ष तक होती है। एचईपीज में शामिल जोखिम को ध्यान में रखते हुए, पीएफसी/आरईसी का तर्क है कि उनके द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें उचित प्रतिस्पर्धी हैं।

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों और पुलों का निर्माण विभिन्न कारणों से हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, जिनमें दूरदराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों, लगभग छह महीने तक भारी बारिश के कारण सीमित कामकाजी अवधि आदि शामिल हैं। इन बाधाओं के बावजूद, केंद्रीय और राज्य दोनों एजेंसियों द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। बीआरओ और एनएचआईडीसीएल ने दूरदराज के इलाकों को जोड़ने वाली कई सड़कों और पुलों का काम पूरा कर लिया है और अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

इस तरह के बुनियादी ढांचे को तेजी से पूरा करने में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) का उपयोग निश्चित रूप से सहायक होगा। परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायता के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने मार्च, 2019 में जल विद्युत को बढ़ावा देने और उसे गति प्रदान करने के लिए अनेक उपायों को मंजूरी प्रदान की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रूपये/मेगावाट की दर से और 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रूपये/मेगावाट की दर से समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों के लिए बजटीय सहायता शामिल है।

(iii) तथापि जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में, भूमि अधिग्रहण, आरएंडआर मुद्दे, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधाएं, कानून एवं व्यवस्था आदि मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारक शामिल हैं।

तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर की सहमति के लिए, सीईए में एकल खिड़की प्रणाली मौजूद है। परियोजना विकासकर्ता को सीईए/सीडब्ल्यूसी/जीएसआई/सीएसएमआरएस से पूर्व-डीपीआर मंजूरी प्राप्त करने के बाद सीईए वेब पोर्टल पर अपना डीपीआर अपलोड करना अपेक्षित होगा। इस पोर्टल पर सीईए और सीडब्ल्यूसी के मूल्यांकन समूहों द्वारा डीपीआर को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। डीपीआर की जांच के बाद, सीईए और सीडब्ल्यूसी के मूल्यांकन समूह पोर्टल पर अपनी टिप्पणियां अपलोड करते हैं, जिसे विकासकर्ता एक्सेस कर सकता है और अपने उत्तर प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पोर्टल पर भी उठाया जाता है। इस तरह, यह पोर्टल दोतरफा संचार मंच प्रदान करता है और जलविद्युत परियोजनाओं के डीपीआर की मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक देरी से बचा जाता है। यह प्रणाली विकासकर्ता और मूल्यांकन समूहों के बीच दस्तावेजों के प्रसारण में महत्वपूर्ण समय बचाती है। इस प्रणाली ने डीपीआर मूल्यांलकन प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है।

भारत सरकार द्वारा मंत्रालयों/विभागों द्वारा मंजूरी के अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) शुरू की गई है। सीईए का वेब पोर्टल को एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. 2/8/2016-पीएंडपी, दिनांक: 04.01.2022]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 14 **देखें**)

सिफारिश (क्रम सं 4)

समिति नोट करती है कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 42 विद्युत पारेषण परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें से 18 परियोजनाएं विलंबित हैं। विलंब के कारणों में भूमि अधिग्रहण, मार्गाधिकार (राइट ऑफ वे), कठिन क्षेत्र, प्राकृतिक बाधाएं, भूगर्भीय आकस्मिकताएं, संविदागत विवाद, पर्यावरण और वनों से संबंधित मुद्दे, वित्तीय रूप से दबावग्रस्त संविदाकार, कुशल जनशक्ति और सामग्री की सीमित उपलब्धता इत्यादि शामिल हैं। हालांकि,

समिति मंत्रालय के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है कि देशभर में वृहत विद्युत पारेषण नेटवर्क और विद्युत की मांग अनुमानित मांग से कम होने के कारण पारेषण परियोजना में विलंब का विद्युत क्षेत्र पर केवल नाममात्र का ही प्रभाव पड़ रहा है। समिति पाती है कि यद्यपि भारत विद्युत की अधिकता वाला देश है तथापि सभी क्षेत्रों तक बिजली समान रूप से नहीं पहुँच पाती है क्योंकि कुछ राज्यों में नेटवर्क संबंधी बाधाएं मौजूद हैं। राज्यों के भीतर भी पारेषण एक प्रमुख मुद्दा है जिसके कारण स्थानीय क्षेत्र में बार-बार बिजली की कटौती होती है और बिजली की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त, समिति को विश्वास है कि पारेषण परियोजनाओ में अधिक लागत और अधिक समय लगने के कारण निश्चित रूप से विद्युत की लागत पर प्रभाव पड़ेगा। अतः समिति यह चाहती है कि मंत्रालय इस संबंध में उदासीन न रहे और विद्यमान संस्थागत प्रणाली का उपयोग करते हुए विलंबित पारेषण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि पारेषण का क्रियान्वयन करने वाले अभिकरण द्वारा विद्युत के निष्क्रमण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए ताकि पारेषण नेटवर्क न होने के कारण उत्पादित विद्युत का एकत्रण (बॉटलिंग-अप) न हो।

सरकार का उत्तर

विभिन्न मुद्दों के कारण अक्तूबर, 2020 की स्थिकति के अनुसार 18 पारेषण परियोजना विलंबित हुई थीं। विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकार के समर्थन और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकों में मुद्दों का समापन किया गया था। 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 6 परियोजनाएं पूरी होने के कगार पर हैं। शेष 3 परियोजनाएं 3 महीने से अधिक विलंबित हैं। विस्तृत स्थिति अनुबंध-क पर संलग्न है। पारेषण परियोजनाएं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों/इलाकों में बड़ी दूरी तय करती हैं, विभिन्न सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करती हैं, जैसे कि:

- मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू);
- वन मंजूरी और भूमि अधिग्रहण;
- चालू करने की गतिविधियों के लिए शटडाउन की आवश्यकता;
- संविदात्मक मुद्दे और आपूर्ति के मुद्दे;
- कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिबंध।

प्रणाली आवश्यकता के साथ अंतर-राज्यीय पारेषण मिलान को लागू करने के लिए सभी घटकों की प्रगति की गहन निगरानी करने के लिए विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, एमएनआरई और सीईए के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा जाता है। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य/मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उठाने के लिए एमओपी के साथ मुद्दों को बढ़ाया जाता है। एमओपी और राज्य के अधिकारियों के सक्रिय समर्थन से कई मुद्दों का समाधान किया गया है। वर्तमान में, पर्याप्त पारेषण लाइनें हैं और इसलिए ऊपर उल्लिखित 18 पारेषण लाइनों में से शेष पारेषण लाइनों को चालू करने के लिए कोई विद्युत बंद नहीं करनी पड़ी।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. 2/8/2016-पी एंड पी, दिनांक: 04.01.2022]

सिफारिश (क्रम सं 5)

समिति यह भी सिफारिश करती है कि पारेषण लाइन गलियारे के बीच में प्राकृतिक आपदाओं, कठिन क्षेत्र, सरकारी भूमि, वन भूमि, निजी भूमि इत्यादि के कारण आने वाली समस्याओं का पहले ही आकलन कर लिया जाए और व्यवस्थित मार्ग आयोजना, सक्रिय उपायों तथा राज्य प्रशासन के साथ समन्वय और परियोजना प्रबंधन टीम के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से इनका समाधान किया जाए।

सरकार का उत्तर

पारेषण लाइनों के कार्यान्वयन के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण किया जाता है। कई वैकल्पिक मार्गों का सर्वेक्षण किया जाता है और पारेषण लाइन के कार्यान्वयन के लिए सबसे व्यवहारिक मार्ग चुना जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी मार्ग के साथ प्राकृतिक बाधाओं, प्रतिकूल इलाकों, वन भूमि आदि से बचने की कोशिश करती है।

तथापि, कभी-कभी ये सभी परिहार्य नहीं होसकती हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पारेषण लाइन की लंबाई में वृद्धि हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हो सकती है।

टैरिफ नीति के अनुसार, आम तौर पर, पारेषण योजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के माध्यम से लागू किया जाना है। इन योजनाओं में अच्छी तरह से परिभाषित कार्यान्वयन समयरेखा है और ट्रांसमिशन टैरिफ पहले से तय है। निर्धारित समय सीमा में योजना के गैर कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन एजेंसी से दंड की वसूली/मुआवजे की वसूली होती है। यह परियोजना विकासकर्ता पर न्यूनतम प्राकृतिक बाधाओं के साथ पारेषण लाइन का मार्ग चुनने की पूरी जिम्मेदारी डालता है।

सिस्टम आवश्यकता के साथ अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन मिलान को लागू करने के लिए सभी तत्वों की प्रगति की बारीकी से निगरानी करने के लिए एमओपी, एमएनआरई और सीईएके बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा जाता है। जब भी आवश्यकता होती है, संबंधित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुद्दों को उठाया जाता है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. 2/8/2016-पी एंड पी, दिनांक: 04.01.2022]

सिफारिश (क्रम सं 6)

समिति को बताया गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक की) की प्रगति की प्रायः स्थल दौरों तथा विकासकों और अन्य भागीदारों के साथ बातचीत के माध्यम से निगरानी करता है तथा समय-समय पर इनके साथ समीक्षा बैठकें करता है ताकि परियोजनाओं को शुरू किए जानो में आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान और उनका समाधान किया जा सके। समिति को यह भी बताया गया है कि विद्युत मंत्रालय बाधाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और अंतर-मंत्रालयी तथा अन्य लंबित मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए नियमित समीक्षा भी करता है। समिति को यह भी बताया गया कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) से संबंधित परियोजनाओं के मामले में परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी मापदंडों/मानकों को संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हुए वार्षिक समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है और इनकी सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों के दौरान समीक्षा की जाती है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि परियोजना प्रबंधन के सभी सहयोगी क्रियाकलापों के मध्य समन्वय और सहक्रिया के लिए एनटीपीसी त्रि-स्तरीय परियोजना प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर है जिसे एकीकृत परियोजना प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली (आईपीएमसीएस) कहा जाता है जो कि इसके अभियांत्रिकी प्रबंधन, संविदा प्रबंधन और निर्माण प्रबंधन नियंत्रण केंद्रों को एकीकृत करता है। समिति यह पाती है कि निगरानी तंत्र के मौजूद होते हुए भी बड़ी संख्या में परियोजनाएं लंबित हैं जिसके कारण समय और लागत में भारी वृद्धि हुई है। चूंकि विद्युत परियोजनाओं का समय पर पूर्ण होना अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समिति सिफारिश करती है कि नियमित समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त, सभी परियोजना स्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना प्रबंधन, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी प्रणाली शुरू की जाए जिसमें सभी हितधारकों अर्थात् आपूर्तिकर्ताओं, परियोजना विकासकों, संविदाकारों, सीईए इत्यादि के साथ ऑनलाइन संपर्क हो और प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित/चिन्हित हो। यह आवश्यक है कि कार्य की जिम्मेदारी संबंधित अभिकरण/समूह/व्यक्ति को सौंपी जाए ताकि परियोजना प्रबंधन और अधिक केंद्रित, त्वरित और सार्थक हो सके।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय ने हाइड्रो सीपीएसयू में कड़ाई से अनुपालन के लिए नवंबर, 2019 में जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत की अधिकता को कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, डेटा, घटनाओं, गतिविधियों की प्रगति आदि को कैप्चर करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में सभी घटनाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए वेब आधारित ई-डायरी प्रणाली को बनाए रखा जाना है। दिशानिर्देश नवीनतम सॉफ्टवेयर टूल के उपयोग को भी निर्धारित करते हैं। सीपीएसयू स्तर पर नियमित आधार पर परियोजना की निगरानी के लिए। यह बेहतर परियोजना प्रबंधन में मदद करेगा और नियोक्ता और ठेकेदार के बीच विवादों के समाधान के लिए, यदि आवश्यक हो, तो संग्रह डेटा प्रदान करने में भी मदद करेगा।

ताप परियोजना स्थलों के संबंध में आईटी आधारित परियोजना प्रबंधन, निगरानी एवं अनुवर्तन प्रणाली के संबंध में सभी निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्रों को पत्र जारी किया गया है (पत्र सं. के.वि.प्रा./टी.पी.एम./एस. सी./जनवरी-3/2021/दिनांक: 27.08.2021) ऊर्जा पर स्थायी समिति (2020-21) की सिफारिशों के अनुपालन के लिए और इसे अनुबंध-ख के रूप में संलग्न किया गया है।

थर्मल परियोजनाओं के लिए, एनटीपीसी ने फास्ट-ट्रैक परियोजना कार्यान्वयन की सुविधा और विभिन्न एनटीपीसी परियोजनाओं के प्रमुख परियोजना मील के पत्थर की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक आईटी-सक्षम परियोजना निगरानी केंद्र (पीएमसी) की स्थापना की है। यह एनटीपीसी के प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। पीएमसी को एनटीपीसी के नेटवर्क में एक वेब आधारित सहयोगी प्रणाली के रूप में एकीकृत किया गया है, जिसका उपयोग परियोजना से संबंधित मुद्दों के समेकन और उनके समाधान की सुविधा के लिए किया जाता है। परियोजना स्थलों पर आईपी कैमरे भी लगाए गए हैं जो महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी के लिए रीयल टाइम लाइव स्ट्रीमिंग देते हैं।

एनटीपीसी ने परियोजना प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों को निम्नलिखित इंटरफेस प्रदान किए हैं:

- एनटीपीसी ने मंत्रालय और अन्य सरकार को अपने परियोजना प्रबंधन उपकरण (वेब-मील) तक पहुंच प्रदान की है। एजेंसियों, जहां परियोजना की प्रगति देखी जा सकती है।
- एनटीपीसी द्वारा एजेंसियों को इंजीनियरिंग प्रबंधन- "ड्रीम" के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। यह विभिन्न पैकेजों की इंजीनियरिंग करने के लिए एनटीपीसी और एजेंसियों के बीच एक इंटरफेस है। एजेंसियां इस पोर्टल पर अनुमोदन के लिए इंजीनियरिंग दस्तावेज जमा करती हैं। इस प्लेटफॉर्म से पैकेज की इंजीनियरिंग प्रगति की समीक्षा की जा सकती है।
- इसके अलावा, सभी विक्रेताओं को भुगतान की प्रक्रिया एनटीपीसी के पीआरएडीआईपीपोर्टल (एनटीपीसी द्वारा एक पेपरलेस पहल) के माध्यम से की जा रही है। चालान जमा करने से लेकर भुगतान तक सभी गतिविधियां इस पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं।

उपर्युक्त के अलावा, परियोजनाओं की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, एनटीपीसी अब एक ही स्थान पर इंजीनियरिंग, आपूर्ति और निर्माण की प्रगति को एकीकृत करने और प्रगति को ऑनलाइन कैप्चर करने के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर निगरानी उपकरण अपना रहा है। प्रगति के मोबाइल ऐप आधारित अद्यतन और भूमिका-आधारित पहुंच जैसी सुविधाएं उपकरण को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाती हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रगति का नियमित अद्यतनीकरण होगा। यह समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में मदद करेगा। इस उपकरण को एनटीपीसी की आगामी थर्मल परियोजनाओं के ईपीसी पैकेजों के बोली दस्तावेजों में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, कई आईटी-सक्षम वेब-आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी की जा रही है:

क. प्रगति पोर्टल

ख. ऊर्जा दर्पण

ग. ई-स्मारिका पोर्टल

घ. पीएमजी पोर्टल

ङ. एनआईपी पोर्टल

च. ओसीएमएस पोर्टल

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. 2/8/2016-पी एंड पी, दिनांक: 04.01.2022]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय–एक का पैरा सं 17 **देखें**)

अध्याय तीन

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

-शून्य-

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
26 *जुलाई*, 2022
4 *श्रावण*, 1944 (*शक*)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध एक

पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वित की जा रही चालू परियोजनाओं (>₹150 करोड़) का विवरण

क्रम सं.	परियोजना	परियोजना के अनुमोदन की तारीख	संशोधित समय विस्तार अनुमोदन के अनुसार पूरा करने का समय	वास्तविक/ प्रत्याशित पूर्णता	मूल समय	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)	अब तक किया गया संचयी व्यय (दिसंबर, 2021) (करोड़ रु. में)	लागत आधिक्य (करोड़ रु. में)	संशोधित समय विस्तार अनुमोदन के संबंध में समय आधिक्य	मुद्दे	मुद्दों को कम करने के लिए उठाए गए कदम
1.	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालुर, तमिलनाडु) 'उत्तरी त्रिचूर (केरल)' के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक **स्कीम 1:** रायगढ़ 'पुगलूर 6000 मेगावाट एचवीडीसी प्रणाली	मई, 16	जुलाई, 21	अक्तू.-21	नवं.-19	14,733	13,696	--	3 माह		**परियोजना पूरी की गई।** विद्युत मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद, पोल 1 (1500 मेगावाट) के साथ तमिलनाडु सरकार और स्थानीय प्रशासन मुख्य एचवीडीसी लाइन का समर्थन सितंबर, 20, पोल 2, पोल 3 और पोल 4 (1500 मेगावाट प्रत्येक) क्रमशः मार्च, 21 जुलाई, 2021 और अक्तूबर, 2021 में चालू किया गया था।
2.	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालुर, तमिलनाडु) 'उत्तर त्रिचूर (केरल)' के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक **स्कीम#3:** पुगलूर'त्रिचूर 2000 मेगावाट वीएससी आधारित एचवीडीसी प्रणाली	फर., 17	सितं., 21	जून, 21	अप्रैल-20	5,070	5,222	152	--		**परियोजना पूरी की गई।** विद्युत मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद, तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार के समर्थन और स्थानीय प्रशासन द्वारा सहायता, 1 मोनोपोल के साथ-साथ 320 केवी एचवीडीसी लाइन मार्च, 2021 में चालू और शेष 1 मोनोपोल जून, 21 में चालू किया गया।

3.	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालुर, तमिलनाडु) 'उत्तर त्रिचूर (केरल)' के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक **स्कीम#2:** पुगलूर छोर पर एसी सिस्टम सुदृढ़ीकरण	अग., 17	अक्तू., 21	अक्तू., 21	फर.-20	1,931	2,065	133.61	--		**परियोजना पूरी की गई।** विद्युत मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद, तमिलनाडु सरकार के समर्थन और स्थानीय प्रशासन द्वारा सहायता, सितंबर में 2 400 केवी एसी लाइन, जुलाई में 20 और 2 400 केवी एसी लाइन चालू, 21 और आखिरी लाइन अक्तूबर, 21 में चालू की गई।
4.	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	मार्च, 17	दिसं., 20	अग., 21-फर., 22	जुलाई-20	3,500	3,463	--	14 माह	--गंभीर आरओडब्ल्यू मुद्दा और वर्षा।	चरण -1 में शामिल हैं: 765 केवी रांची-मेदिनीपुर लाइन, 765 केवी मेदिनीपुर एसएस, 400 केवी एलआईएलओ मेदिनीपुर में, 09.02.2021 को चालू किया गया। 765 केवी डी/सी मेदिनीपुर – जीरात टी/एल + 400 केवी डी/सी जीरात (नई) - जीरात (डब्ल्यूबीएसईटीसीएल) लाइन के साथ-साथ जीरात एस/एसको सितंबर, 2021 में चालू किया गया। गंभीर आरओडब्ल्यू मुद्दों का सामना कर रही 400 केवी जीरात-सुभाषग्राम लाइन के फरवरी,2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन की मदद से आरओडब्ल्यू समस्या का समाधान किया जा रहा है।

5.	तूतीकोरिन'II (तत्कालीन तिरुनेलवेली जीआईएस) और भुज पीएस में सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना	नवं.'18	जुलाई, 21	दिसं., 21	जून-20	496	383	--	5 माह	-- कोविड-19 महामारी के दौरान चीन से गैस इंसुलेटेड बुशिंग्स की आपूर्ति में देरी के कारण प्रगति प्रभावित हुई। अब सारी आपूर्ति पूरी हो गई है।	भुज (पीएस) सब-स्टेशन चालू। तिरुनेलवेली में ट्रांसफार्मर संख्या 3 का कार्य पूरा हो गया है। सभी प्रमुख कार्य पूर्ण। बे में कॉमन फैसिलिटी के दिसंबर, 2021 तक पूरा होने की संभावना है।
6.	तुमकुर (पवागड़ा), कर्नाटक चरण' II (भाग 'ख) में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क के लिए पारेषण प्रणाली	मई, 17	फर., 21	फर., 21	फर.-19	675	548	--	--		**परियोजना पूरी की गई।** विद्युत मंत्रालयऔर कर्नाटक सरकार के समर्थन से, फरवरी, 21 में लाइन चार्ज की गई।
7.	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-XXXVII (एनआरएसएस-XXXVII)	मार्च, 17	सितं., 21	जन., 22	दिस.19	380	338	--	4 माह	--परिवहन और मौसम की समस्या के कारण प्रगति प्रभावित; --कोविड-19 महामारी के कारण प्रगति भी प्रभावित हुई।	एनएचएआई द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क/सड़क चौड़ीकरण के पूरा होने पर, सभी ट्रांसफार्मर और रिएक्टर (चलठी में अस्थायी स्टोर पर रखे गए) को जौलजीवी साइट पर ले जाया गया है। नागरिक उड्डयन मंजूरी और निकासी मार्ग के अनुसार ओवरहेड से अंडर ग्राउंड केबल में परिवर्तित कर दिया गया है। बिछाने का कार्य प्रगति पर है। जनवरी, 2022 तक प्रणाली चालू होने की उम्मीद है।
8.	भूटान में मंगदेछु जलविद्युत परियोजना से विद्युत के हस्तांतरण के लिए भारतीय प्रणाली में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	मार्च, 16	जुलाई, 21	जून, 21	जन.-18	809	848	39.37	--		**परियोजना पूरी की गई।** दिनांक 24.06.2021 को चालू की गई।

9.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-VI से संबद्ध पावरग्रिड कार्य	मई, 18	जुलाई, 21	मई, 21	मई-20	216	173	--	--		**परियोजना पूरी की गई।** मई, 2021 में पूरी की गई।
10.	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-XX (ईआरएसएस-XX)	नवं.. 17	अग., 21	जन., 22	मई-20	359	318	--	5 माह	- कोविड-19 महामारी के कारण प्रगति भी प्रभावित हुई। शटडाउन नहीं होने से प्रगति प्रभावित	सभी प्रमुख कार्य पूर्ण, परीक्षण प्रगति पर है। पूर्णता जनवरी, 2022 तक अपेक्षित है।
11.	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-XV (ईआरएसएस-XV)	अप्रैल,16	मार्च, 21	जून, 21	अप्रैल,18	454	398	--	3 माह	- बे के लिए जीरात एस/एस में कॉरिडोर बाधा। - कोविड-19 महामारी के कारण प्रगति भी प्रभावित हुई।	**परियोजना पूरी की गई।** पूरी की गई।
12.	12वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 400/220 केवी सब स्टेशनों का निर्माण (भाग-क)	मार्च, 15	दिसं., 21	मार्च, 22	मई-17	1,395	793	--	3 माह	- वन मंजूरी में विलंब; - कोविड-19 महामारी और निर्माण प्रतिबंध के कारण भी प्रगति प्रभावित हुई।	मंत्रालय स्तर पर काफी मशक्कत के बाद अगस्त, 2021 को काम की अनुमति मिली और पीएम पोर्टल पर उठाई गई। दिनांक 21.12.21 को निर्माण प्रतिबंध हटा लिया गया।
13.	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-XVII-भाग-ख [ईआरएसएस-XVII (भाग-ख)]	फर., 17	नवं.'21	फर., 22	जून-19	236	184	--	3 माह	- शटडाउन की अनुपलब्धता; - कोविड-19 महामारी के कारण प्रगति भी प्रभावित हुई।	दिनांक 10.12.21 से शटडाउन प्रदान किया गया, कार्य प्रगति पर है।
14.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में 220/66 केवी, 2X160 एमवीए जीआईएस की	फर., 17	सितं., 21	मार्च, 22	फर.-19	322	278	--	6 माह	--आरओडब्ल्यू मुद्दे।	मामला जिला प्रशासन से उठाकर पीएमजी पोर्टल पर उठाया गया। आरओडब्ल्यू मुद्दों के समाधान के

	स्थापना 220 केवी चंडीगढ़ जीआईएस सब स्टेशन से 220 केवी डी/सी लाइन के साथ 400/220 केवी पंचकुला (पीजी) सब- स्टेशन तक										लिए मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई। उच्च न्यायालय में मामला, कई स्थगन के बाद अगली सुनवाई दिनांक 17.01.2022 को होगी।
15.	नेवेली, तमिलनाडु में 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड टीएस-I (प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस) से विद्युत की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	मई, 17	जुलाई, 21	जुलाई, 20	जुलाई ,19	220	205	--			**परियोजना पूरी की गई।** प्रशासन के सहयोग से, जुलाई, 2020 में पुगलूर के एलआईएलओ सेक्शन के एक सीकेटी से जुड़कर लाइन चार्ज की गई – अरियालुर एस/एस के पास कालीवंडापट्टू 400 केवी डी/सी लाइन (जैसा कि जमा कार्य आधार पर टैंट्रानको द्वारा मार्च, 2022 तक अपेक्षित है)
16.	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से संबद्ध पारेषण प्रणाली।	अक्तू., 08	मार्च, 21	मार्च, 21	सितं.-12	5,072	4,793	--			**परियोजना पूरी की गई।**
17.	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-XII (ईआरएसएस--XII)	मई, 14	दिसं., 21	फर., 22	नवं.-16	546	532	--	2 माह	--परिवहन समस्या का समाधान - कोविड-19 महामारी के कारण प्रगति प्रभावित।	फरक्का फीडर कैनाल के माध्यम से जल परिवहन के तहत आईसीटी, एनटीपीसी स्विच यार्ड के पास पहुंचा। फरवरी, 22 में चालू किया जाना अपेक्षित है।
18.	चरण-I एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य मापन (यूआरटीडीएसएम) परियोजना	जन., 14	दिसं., 17	दिसं., 21	अप्रैल-16	375	312	--	48 माह	(1) विनिर्देशों के अनुसार नवीनतम आईईईईसी 37.118 मानक के अनुसार पीएमयूके प्रकार परीक्षण के लिए दुनिया	टाइप टेस्टिंग वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी और कंज्यूमर एनर्जी लेबोरेटरी, यूएसए में पॉवरग्रिड द्वारा नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों के मार्गदर्शन में किया गया था।

										भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता। (2) बैकअप एनएलडीसी को चालू करने के लिए ईआरएलडीसी (पोसोको) में जगह की कमी। बैकअप एनएलडीसी 05.03.2021 को चालू किया गया। (3) आईआईटी बॉम्बे के परामर्श से छह विश्लेषणात्मक अनुप्रयोगों का विकास भी यूआरटीडीएसएम परियोजना का हिस्सा है। सभी छह विश्लेषणात्मक अनुप्रयोगों को विकसित किया गया है और चूंकि इसमें बहुत सारे अनुसंधान एवं विकास कार्य शामिल हैं, इसलिए इसके विकास में काफी समय लगा है। (4) कोविड-19 महामारी के कारण प्रगति भी प्रभावित हुई।	(2)स्थान प्रदान करने के लिए ईआरएलडीसी, पोसोको के साथ कठोर अनुवर्ती कार्रवाई की गई। (3)आईआईटी बॉम्बे के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई। सभी प्रमुख वास्तविक कार्य पूरे कर लिए गए हैं, परियोजना को बंद करने/दस्तावेजीकरण गतिविधियों का कार्य प्रगति पर है।
नोट: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या 3/1/2020-ट्रांस दिनांक 12 जून, 2021 के अनुसार, सभी अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाएं, जो 01 अप्रैल, 2021 के बाद आने वाली एससीओडी के साथ निर्माणाधीन हैं, को विस्तार दिया गया है। उनके एससीओडी का 3 महीने का सम्मान।											

अनुबंध दो

भारत सरकार/Government of India

विद्युत मंत्रालय/Ministry of Power

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/Central Electricity Authority

तापीय परियोजना प्रबोधन प्रभाग/Thermal Project Monitoring Division

पत्र सं. : के.वि.प्रा./टी.पी.एम./एस.सी./जन-3/2021 दिनांक: 27.08.2021

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार।

विषय : ऊर्जा पर स्थायी समिति की 19वीं रिपोर्ट (2020-21) – परियोजना स्थल पर एक आई.टी. आधारित प्रबंधन, निगरानी और अनुवर्ती प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 19.08.2021 के पत्र सं. 2/8/2016-पीएंडपी द्वारा "विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में विलंब" विषय पर ऊर्जा संबंध स्थायी समिति (2020-21) की 19वीं रिपोर्ट के साथ लोक सभा सचिवालय से प्राप्त दिनांक 06 अगस्त, 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. एससीईओ 24(15)/3/2021-एससीओई अग्रेषित किया है। रिपोर्ट के भाग-II (टिप्पणियां/सिफारिशें) में समिति ने बिंदु सं. 6 पर निम्नानुसार सिफारिश की है:

> "चूंकि विद्युत परियोजनाओं का समय पर पूर्ण होना अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समिति सिफारिश करती है कि नियमित समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त, सभी परियोजना स्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना प्रबंधन, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी प्रणाली शुरू की जाए जिसमें सभी हितधारकों अर्थात् आपूर्तिकर्ताओं, परियोजना विकासकों, संविदाकारों, सीईए इत्यादि के साथ ऑनलाइन संपर्क हो और प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित/चिन्हित हो । यह आवश्यक है कि कार्य की जिम्मेदारी संबंधित अभिकरण/समूह/व्यक्ति को सौंपी जाए ताकि परियोजना प्रबंधन और अधिक केंद्रित, त्वरित और सार्थक हो सके"।

उपरोक्त के मद्देनजर, अनुरोध है कि ऊर्जा संबंधी स्थापयी समिति (2020-21) की सिफारिशों के बिंदु सं. 6 की अनुपालना में, इस कार्यालय को सूचित करते हुए आपके स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

भवदीय,

(राजेश कुमार कोहली)

निदेशक

परिशिष्ट एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 26 जुलाई, 2022 को माननीय सभापति के चैम्बर, कमरा संख्या 111, संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1530 बजे से 1615 बजे तक चली।

सदस्य

लोकसभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह — **सभापति**

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री संजय जाधव
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री सुनील कुमार मंडल
6. श्री अशोक महादेवराव नेते
7. श्री पी. वेलुसामी
8. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल
9. श्री बेलाना चन्द्रशेखर
10. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

11. श्री अजीत कुमार भुयान
12. श्री राजेन्द्र गहलोत
13. श्री मुजीबुल्ला खान
14. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
15. श्री एस. सेल्वागनबेथी
16. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय – **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन – **निदेशक**
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा – **अपर निदेशक**

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु उठाया:

(i) 'विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा – देश भर में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता' विषय पर प्रतिवेदन।

(ii) 'भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन' विषय पर प्रतिवेदन।

(iii) '175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य की उपलब्धि हेतु कार्य योजना' विषय पर सत्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

(iv) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का विकास' विषय पर अठारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

(v) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूरा करने में विलंब' विषय पर उन्नीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

3. प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु पर चर्चा करने के पश्चात्, समिति ने बिना किसी संशोधन/परिवर्तन के उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया। समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट दो

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन के अनुसार)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(i) सिफारिशों की कुल संख्या 06

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :

क्रम सं. 1, 2, 3, 4, 5 और 6

कुल:06

प्रतिशत:100%

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:

क्रम सं. शून्य

कुल: 00

प्रतिशत:00%

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

क्रम सं. शून्य

कुल: 00

प्रतिशत: 00%

(v) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

क्रम सं. शून्य

कुल:00

प्रतिशत:00%